

डी पी एच सी एल DPHCL

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2009-10

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल DPHCL

3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2009-10

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi - 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय-सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	4
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors Report	8
5.	तुलन-पत्र Balance Sheet	12
6.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	14
7.	अनुसूचियां Schedules	16
8.	लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	19
9.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Auditor's Report	21
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	25

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2009–2010) Board of Directors (2009-2010)

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल
Sh. Yudhbir singh Dadwal
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

श्री दीप चन्द
Sh. Deep chand
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 13-07-2009 to 31-03-2010)

श्रीमती विमला मेहरा
Smt. Vimla mehra
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007 to 13-07-2009)

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल
Dr. Shabd Prakash Bansal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी
Dr. Mungath Madhavan Kutty
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्री राम निवास शर्मा
Sh. Ram Niwas Sharma
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्रीमती भामथी बालासुब्रमणियम
Smt. Bhamathi Balasubramaniam
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 17-03-2008)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
104, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बी-6,
सुभाष चौक लक्ष्मी नगर
दिल्ली – 110 092

Statutory Auditors

M/s. Pradeep Gopal & Company
Chartered Accountants
104, Laxmi Complex, B-6,
Subhash Chowk, Laxmi Nagar,
Delhi – 110 092

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Bankers

State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 23490357

ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 3^{री} वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर, 2010 को शाम 6:00 बजे कान्फ्रेंस हॉल, पुलिस मुख्यालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि के लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों सहित तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित पर विचार करना, अपनाना।
2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारित करना और और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 224(8)(एए) के प्रावधानों के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।”

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
ह.

(नीरज कुमार)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.09.2010

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का खाली प्ररूप संलग्न है और यदि प्रयुक्त करने का इरादा है, वार्षिक आम बैठक के शुरु होने के 48 घंटे से पहले कंपनी में जमा कर देना चाहिए।

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Tele No. 23490357

e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the third Annual General Meeting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** will be held on 28th day of September 2010 at 6:00 PM hrs. in the Conference Hall of Police Headquarters, I.P. Estate, New Delhi-110002 to transact the following businesses:


ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2010 and Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed of thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To fix the remuneration of M/s Pradeep Gopal & Company ,Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the year 2010-11 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the following resolution an ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section224(8) (aa) of the Companies Act,1956, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of the Statutory Auditors, to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2010-11. "

Place: New Delhi
Dated: 24.09.2010

By order of the Board of Directors


(Neeraj Kumar) 24/09/10
Managing Director

Notes:

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the company. A blank form of proxy is enclosed and if intended to be used, it should be returned to the company not less than forty-eight hours before the Annual General Meeting duly completed.

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

सरकारी निदेशक :- डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :

DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-

The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई-मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017-2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10^{वीं} वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रूप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

विलंब कथन

(वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2018-19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBI, dated 6th September, 2019.

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBI, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on dated 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

यह लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए आवास अपर्याप्त हैं। घरों और पुलिस के कार्यालय की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने अपनी 16 जून, 2006 को आयोजित बैठक में दिल्ली पुलिस आवास निगम के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निगम बनाने का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली पुलिस के अपने घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण में आंतरिक कोर क्षमता का व्यावसायिक रूप से विकास करना है। दिल्ली पुलिस आवास निगम की स्थापना 16 नवंबर, 2007 को हुई थी।

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए 3री वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई गतिविधि आरंभ नहीं की तथा रु.1,37,42,921/-की आय अर्जित हुई। अवधि के दौरान, सभी खर्चों को पूरा करने के बाद तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि रु.89,18,991/- है।

चालू वर्ष में, दिल्ली पुलिस ने चल रही दो परियोजनाओं, जो पहले दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष द्वारा मॉनिटर की जा रही थी, को दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा मॉनिटर किए जाने के लिए अंतरित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने दिनांक 17.03.2010 के आदेश सं. एफ.6.155/09/एचपी-आई/स्था./5448 के द्वारा रु.62.00 करोड़ की निधि के अंतरण के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी सूचित की, तथा गैर-योजित प्रमुख शीर्ष 2055-पुलिस, 115-पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण, 09-दिल्ली पुलिस से सहायता, 09.00.31 अनुदान सहायता से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में दिनांक 26.03.2010 को रु. 25 करोड़ 'दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड' को मांग सं.52 के अंतर्गत अंतरित किए। (प्रतिलिपि अनुलग्नक-क1 पर संलग्न है)

लाभांश

कंपनी ने अभी ही अपनी गतिविधि शुरू की है, निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुत नहीं किया है।

मियादी निवेश

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई मियादी निवेश न स्वीकार किया है न नवीकृत किया है।

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

It has been noted for a long time that the housing is inadequate for the personnel of Delhi Police. With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and office buildings for Delhi Police, the Cabinet in its meeting held on 16th June, 2006 approved the proposal of creation of Delhi Police Housing Corporation. The sole objective of creating the Corporation has been to professionally develop in-house core competencies in constructing its own houses and office buildings Delhi Police. The Delhi Police Housing Corporation was incorporated on 16th November, 2007.

Directors of your Company have the pleasure to present their 3rd Annual Report for the year 31st March, 2010.

FINANCIAL RESULTS

The Company did not undertake any activities during the financial year ending 31st March, 2010 and the company has earned an interest income of Rs.1,37,42,921/-. The balance carried to the balance sheet after meeting out all expenses and taxes is Rs.89,18,991/- during the period.

In the current year, Delhi Police has transferred two on-going projects that were earlier being monitored by Land and Building cell of Delhi Police, to be monitored by Delhi Police Housing Corporation Limited. The GNCT, Delhi vide its order No. F.6.155/09/HP-I/Estt./5448 dt. 17.03.2010 conveyed the sanction of the L.G., Delhi for transfer of funds to the tune of Rs.62.00 Crores, and funds of Rs.25 Crores has been transferred from the Non-Plan Major Head 2055-Police, 115-Modernization of Police Forces, 09-Assistance to Delhi Police, 09.00.31 Grant-in-Aid, under the demand No.52 to "Delhi Police Housing Corporation Ltd." On 26.03.2010 in the current account with State Bank of India (copy enclosed at Annex.A1).

DIVIDEND

Since the company is yet to start its activities, the Board has recommended no dividend.

FIXED DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any fixed deposits from public during the year under review.

धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना लागू नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण

चूंकि कंपनी विनिर्माण व्यापार में शामिल नहीं है, अतः इसके प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ है तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विवरणों का प्रकटीकरण), नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (इ) संबंधी विवरण अपेक्षित नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड का गठन इस प्रकार है:

1. अध्यक्ष
श्री युद्धबीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 16.11.2007 से आज तक)।
2. प्रबंध निदेशक
श्री नीरज कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 01.04.2010 से आज तक)।

श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त का नाम प्रथम निदेशक के रूप में निगम के संस्था के बहिर्नियम में था और निगम की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई थीं। उन्होंने अपने स्थानांतरण के कारण दिनांक 13.07.2009 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है। बोर्ड, श्रीमती विमला मेहरा को उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

श्री दीप चंद, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली दि. 13.07.2009 से निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.03.2010 को निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है। बोर्ड, श्री दीप चन्द को उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

3. डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि।
4. श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती, संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय।

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217 (2A)

During the year under review, the information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, is not applicable.

ENERGY CONSERVATION AND TECHNOLOGY ABSORPTION

Energy Conservation

Since the Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operations and as such no specific methods have been adopted to conserve energy.

The particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars on Report of Board of Directors) Rules, 1988 are not required.

DIRECTORS

The Board of Directors consists of a Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi a Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The constitution of the Board during the year is as follows:

1. Chairman
Shri Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 16.11.2007 as on date).
2. Managing Director
Shri Neeraj Kumar, Special Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 01.04.2010 as on date).

Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police, Delhi was named in the Articles of Association of the Corporation as the First Director and was appointed as the Managing Director of the Corporation. She has resigned from the Board w.e.f. 13.07.2009 due to her transfer. The Board wishes to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by Smt. Vimla Mehra during her tenure.

Shri Deep Chand, Special Commissioner of Police, Delhi was appointed as the Managing Director of the Corporation w.e.f. 13.07.2009. He has resigned from the office of Director w.e.f. 31.03.2010 due to his superannuation. The Board wishes to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by Shri Deep Chand during his tenure.

3. Dr. Shabd Prakash Bansal, Additional Commissioner (Planning), DDA, a representative of the Delhi Development Authority.
4. Smt. Balasubramaniam Bhamathi, Additional Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs.

5. श्री शशि भूषण शशांक, अपर सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

श्री राम निवास शर्मा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने स्थानांतरण के कारण दिनांक 04 मई, 2010 को बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया। बोर्ड, श्री राम निवास शर्मा को उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

6. डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी, संयुक्त सचिव (दिल्ली), शहरी विकास मंत्रालय, प्रतिनिधि शहरी विकास मंत्रालय।

निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 18.08.2010 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के समावेशन से वर्ष 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा के गठन को अनुमोदित किया है:

1. श्री नीरज कुमार, प्रबंध निदेशक
2. डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, निदेशक
3. श्री शशि भूषण शशांक, निदेशक

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 18.08.2010 की लेखापरीक्षा की समिति का पुनर्गठन के लिए संकल्प पारित किया।

निदेशकगण का उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुसरण में कंपनी के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- i. वार्षिक लेखे को तैयार करने में लागू लेखा मानदंडों का पालन किया गया है और उसी के लिए कोई तथ्यगत सामग्री बताने के लिए नहीं है।
- ii. 31 मार्च, 2010 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और विषयों का उपयुक्ततः प्रकटन करने के साथ लगातार लागू किया तथा निर्णय एवं प्राक्कलन किया, जो कि उचित और विवेकी हैं।
- iii. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

5. Shri Shashi Bhushan Shashank, Additional Secretary (Home), GNCT of Delhi, a representative of the Government of the National Capital Territory of Delhi.

Shri R.N. Sharma, Joint Secretary (Home), GNCT of Delhi, a representative of the Government of the National Capital Territory of Delhi has resigned from the Board w.e.f. 4th May, 2010 due to his transfer. The Board wishes to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by him during his tenure.

6. Dr. Mungath Madhavan Kutty, Joint Secretary (DL), MOUD, a representative of the Ministry of Urban Development, Government of India.

AUDIT COMMITTEE OF DIRECTORS

The Audit Committee for the year 2009-10 comprising the following of members the Board was approved by the Board of Directors on 18.08.2010:

1. Shri Neeraj Kumar, Managing Director
2. Dr. S.P. Bansal, Director
3. Shri Shashi Bhushan Shashank, Director

Further, the Board of Directors passed the resolution for the re-constitution of Audit Committee on 18.08.2010.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 Directors of the company confirm that:

- i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and that there are no material departures from the same.
- ii. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently with departures disclosed appropriately and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2010 and of the profit & loss of the Company for the year ended on that date.
- iii. The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and
- iv. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है। निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर अपेक्षित नहीं है क्योंकि भारत के महालेखापरीक्षक के दिनांक 29.09.2010 के पत्र सं. 77/पीडीसीए/एचएस/डीपीएचसीएल/ए/सीएस/2009-10/2023 में कोई टिप्पणी नहीं है।

सराहना

कंपनी के निदेशकगण निगम के मामले को अग्रसक्रिय रूप से कार्यात्मक करने के लिए गृह मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। श्री दीप चन्द, प्रबंध निदेशक/डीपीएचसीएल, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के कारण त्याग-पत्र दिया है, को उनकी अत्यधिक रुचि और कंपनी की स्थापना के लिए अपार और उत्साही प्रयास के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा, श्री नीरज कुमार, प्रनि/डीपीएचसीएल को निगम के मामले को आगे बढ़ाने तथा निगम के प्रचालन को उत्साह से गति देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

आभारोक्ति

आपका निगम दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधाहित सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों की व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.09.2010

(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India appointed M/s Pradeep Gopal & Company, Chartered Accountants, New Delhi as Company's Statutory Auditors for the year 2009-2010. The Board of Directors would like to place on record their sincere thanks to the valuable services rendered by the Statutory Auditors.

AUDITORS' REPORT

The Auditors' Report submitted by M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants alongwith notes to accounts is self-explanatory and requires no separate comments.

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Management Reply to the comments of the Comptroller and Auditor General of India in Audit Report is not required as COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA vide its letter No. 77-PDCA/HS/DPHCL/A/cs/2009-10/2023 dated 29.09.2010 have no comments.

APPRECIATION

Directors of the Company wish to express their sincere gratitude to the Ministry of Home Affairs in proactively taking up the Corporation matters to make it functional. A word of appreciation is also placed on record for Shri Deep Chand, MD/DPHC, who has resigned due to his superannuation, for his boundless passion and efforts, for taking keen interest and making untiring efforts to establish the Corporation. The Board further places on record their sincere gratitude for Shri Neeraj Kumar, MD/DPHC for pursuing the Corporation matters and to speed up the operations of the Corporation with zeal.

ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Statutory Auditors of the company and various consulting associates for giving valuable advice to the Company. We are also thankful to the Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in organizing the company affairs. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors

Place : New Delhi.
Dated:28.09.2010


(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	क	50,000,000.00	50,000,000.00
आरक्षित और अधिप्रीश			
लाभ और हानि		10,703,588.00	1,865,074.00
सरकारी अनुदान		250,000,000.00	400,000,000.00
ऋण की निधि		-	-
कुल		310,703,588.00	451,865,074.00
निधि का उपयोगन			
स्थायी आस्तियां			
सकल ब्लॉक		-	-
घटाएं: मूल्यहास		-	-
निवल ब्लॉक		-	-
निवेश			
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
नकद और बैंक शेष	ख	62,593,137.00	49,895,702.00
अन्य चालू आस्तियां	ग	250,050,041.00	400,050,026.00
ऋण और अग्रिम		1,798,972.00	3,424,480.00
		2,764,209.00	393,219.00
		254,613,222.00	403,867,725.00
घटाएं: चालू देयताएं और प्रावधान			
देयताएं	घ	1,013,733.00	1,004,778.00
प्रावधान		5,630,091.00	1,088,128.00
		6,643,824.00	2,092,906.00
		247,969,398.00	401,774,819.00
निवल चालू आस्तियां			
विविध व्यय			
आस्थगित कर आस्तियां		141,053.00	194,553.00
प्राथमिक व्यय		-	-
(बट्टे खाते में समायोजित नहीं किए जाने तक)		-	-
कुल		310,703,588.00	451,865,074.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
लेखों पर टिप्पणी
अनुसूची क से च लेखों का एक अभिन्न भाग है

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एडं कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.

(प्रदीप अग्रवाल)

एफ.सी.ए.

भागीदार

सदस्यता सं. 087135

एफआरएन-008973एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.09.2010

ड

च

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(युद्धबीर सिंह डडवाल)

अध्यक्ष

ह.

(नीरज कुमार)

प्रबंध निदेशक

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2010

Figures in Rupees

Description	Schedule No.	AS AT 31st March 2010	AS AT 31st March 2009
<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
Shareholder's Funds:			
Share Capital	A	50,000,000.00	50,000,000.00
Reserve & Surplus			
Profit & Loss		10,703,588.00	1,865,074.00
Government Grant			
		250,000,000.00	400,000,000.00
Loan Funds			
		-	-
Total		310,703,588.00	451,865,074.00
<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
Fixed Assets:			
Gross Block		-	-
Less Depreciation		-	-
Net Block		-	-
Investments			
	B	62,593,137.00	49,895,702.00
Current Assets, Loans & Advances			
	C		
Cash and Bank Balances.		250,050,041.00	400,050,026.00
Other Current Assets		1,798,972.00	3,424,480.00
Loans and Advances		2,764,209.00	393,219.00
		254,613,222.00	403,867,725.00
Less: Current Liabilities & Provisions			
	D		
Liabilities		1,013,733.00	1,004,778.00
Provisions		5,630,091.00	1,088,128.00
		6,643,824.00	2,092,906.00
Net Current Assets			
		247,969,398.00	401,774,819.00
Miscellaneous Expenditure			
Deferred Tax Asset		141,053.00	194,553.00
Preliminary Expenses		-	-
(To the extent not written off or adjusted)			
Total		310,703,588.00	451,865,074.00

Significant accounting policies

Note on accounts

Schedule A to F form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date

For **PRADEEP GOPAL & Co.**

Chartered Accountants

Sd/-

(PRADEEP AGARWAL)

F.C.A.

Partner

M.No.087135

FRN :08973N

E

F

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Yudhbir Singh Dadwal)

Chairman

Sd/-

(Neeraj Kumar)

Managing Director

Place : New Delhi

Date : 28.09.2010

**31 मार्च, 2010 को समाप्त
वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा**

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2010 को समाप्त अवधि
आय	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सावधि जमा पर ब्याज	13,742,921.00
अन्य आय (सरकारी अनुदान)	400,000,000.00
	413,742,921.00
व्यय	
निर्माण व्यय (पुलिस थाना)	389,650,341.78
निष्पादन और परामर्श प्रभार	10,349,658.22
कानूनी और व्यावसायी फीस	27,250.00
प्रतिधारण प्रभार	177,000.00
आरओसी फीस	2,100.00
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	
संवैधानिक लेखापरीक्षक फीस 15000	
कर लेखापरीक्षक फीस <u>10000</u>	
	25,000.00
उप-कुल	400,231,350.00
कराधान पूर्व निवल लाभ	13,511,571.00
कराधान के लिए प्रावधान	
चालू आयकर	4,539,080.00
आस्थगित आयकर	53,500.00
तुलन-पत्र में अग्रेषित किया गया लाभ और हानि का शेष	8,918,991.00

अनुसूची क से च लेखों का एक अभिन्न भाग है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **प्रदीप गोपाल एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(नीरज कुमार)
प्रबंध निदेशक

सदस्यता सं. 087135
एफआरएन-008973एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.09.2010

**PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2010**

Figures in Rupees

Description	Period ended on 31.03.2010
<u>INCOMES</u>	
Interest on term deposit with SBI	13,742,921.00
Other Income (Government Grant)	400,000,000.00
	413,742,921.00
<u>EXPENSES</u>	
Construction Exp. (Police Station)	389,650,341.78
Execution & Consultancy Charges	10,349,658.22
Legal & Professional Fee	27,250.00
Retainership Charges	177,000.00
ROC Fees	2,100.00
<u>Auditors' Remuneration</u>	
Statutory Audit Fee 15000	
Tax Audit Fees <u>10000</u>	25,000.00
Sub-Total	400,231,350.00
Net Profit before taxation	13,511,571.00
Provision for taxation	
Current Income Tax	4,539,080.00
Deferred Income Tax	53,500.00
Profit & Loss balance c/f to balance sheet	8,918,991.00

Schedule A to F form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
F.C.A.
Partner
M.No.087135
FRN :08973N

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Neeraj Kumar)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 28.09.2010

अनुसूची 'क' – शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति रुपए 100/- के 10,00,000 के इक्विटी शेयर	100,000,000.00	100,000,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रति रुपए 100/- के 5,00,000 इक्विटी शेयर की प्रदत्त अंशपूंजी	50,000,000.00	50,000,000.00
कुल	50,000,000.00	50,000,000.00

अनुसूची 'ख' – निवेश

आंकड़े रुपए में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा रसीद	62,593,137.00	49,895,702.00
कुल	62,593,137.00	49,895,702.00

अनुसूची 'ग' – चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
I चालू आस्तियां		
(क) नकद और बैंक शेष चालू खाते में – अनुसूचित बैंक के पास	250,050,041.00	400,050,026.00
कुल (क)	250,050,041.00	400,050,026.00
(ख) अन्य चालू आस्तिया सावधि जमा रसीद पर प्राप्ति योग्य ब्याज प्राप्ति योग्य राशि –हिंदुस्तान प्रिफैब लि. –राईट्स लि.	764,006.00 206,128.00 828,838.00	3,424,480.00 - -
कुल (ख)	1,798,972.00	3,424,480.00
II. ऋण और अग्रिम		
(ग) ऋण व अग्रिम स्रोत पर कर की कटौती अग्रिम कर	1,414,209.00 1,350,000.00	393,219.00 -
कुल (ग)	2,764,209.00	393,219.00
कुल	254,613,222.00	403,867,725.00

अनुसूची 'घ' – चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
I चालू देयताएं		
दिल्ली पुलिस आशु गुप्ता एंड कंपनी	1,004,778.00 8,955.00	1,004,778.00 -
कुल (क)	1,013,733.00	1,004,778.00
II. प्रावधान		
अदायगी योग्य लेखापरीक्षा फीस अदायगी योग्य कानूनी और व्यावसायिक फीस अदायगी योग्य स्रोत पर कर की कटौती कराधान के लिए प्रावधान	22,500.00 22,500.00 1,046,011.00 4,539,080.00	15,000.00 10,764.00 1,236.00 1,061,128.00
कुल (ख)	5,630,091.00	1,088,128.00
कुल	6,643,824.00	2,092,906.00

SCHEDULE 'A' – SHARE CAPITAL

Figures in Rupees

Description	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
Authorised Share Capital 10,00,000 Equity shares of Rs.100/- each	100,000,000.00	100,000,000.00
Issued, Subscribed and Paid up Paid up share capital of 5,00,000 Equity shares of Rs. 100/- each	50,000,000.00	50,000,000.00
Total	50,000,000.00	50,000,000.00

SCHEDULE 'B' – INVESTMENTS

Figures in Rupees

Description	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
INVESTMENTS FDR with State Bank of India	62,593,137.00	49,895,702.00
Total	62,593,137.00	49,895,702.00

SCHEDULE 'C' – CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES

Figures in Rupees

Description	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
I. CURRENT ASSETS		
(A) Cash and bank balances: in Current account - with Scheduled Bank	250,050,041.00	400,050,026.00
Total (A)	250,050,041.00	400,050,026.00
(B) Other Current Assets Interest on FDR receivable Amount receivable – -Hindustan Prefab Ltd. -Rites Ltd.	764,006.00 206,128.00 828,838.00	3,424,480.00 - -
Total (B)	1,798,972.00	3,424,480.00
II. LOANS AND ADVANCES (C) Tax Deducted at Source Advance Tax	1,414,209.00 1,350,000.00	393,219.00 -
Total (C)	2,764,209.00	393,219.00
Total	254,613,222.00	403,867,725.00

SCHEDULE 'D' – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Figures in Rupees

Description	As at 31st March 2010	As at 31st March 2009
I. CURRENT LIABILITIES Delhi Police Ashu Gupta & co.	1,004,778.00 8,955.00	1,004,778.00 -
Total (A)	1,013,733.00	1,004,778.00
II. PROVISIONS Audit Fee Payable Legal & Professional Fee Payable TDS Payable Provision for taxation	22,500.00 22,500.00 1,046,011.00 4,539,080.00	15,000.00 10,764.00 1,236.00 1,061,128.00
Total (B)	5,630,091.00	1,088,128.00
Total	6,643,824.00	2,092,906.00

अनुसूची 'ड' – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- 1. वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार**

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।
- 2. स्थायी आस्तियां**

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गईं।
- 3. मूल्यांकन**

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गईं, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यांकन प्रभारित नहीं किया गया।
- 4. चालू देयताएं**

आरंभिक खर्चों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, को चालू देयताएं माना गया है।
- 5. आय (राजस्व) मान्यता नीति**

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी।
- 6. करों के लिए लेखांकन**

वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में कर अदायगी की राशि पर चालू कर निर्धारित किया है और तदनुसार कर के लिए प्रावधान किया है।

आस्थगित कर प्रभार अथवा ऋण को कर दरों का इस्तेमाल कर प्रभारित किया है जो कि तुलन-पत्र की तारीख से अधिनियमित अथवा वास्तव में अधिनियमित की गई है। आईसीएआई द्वारा जारी मानक 22 के अनुसार, आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान को प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख की समीक्षा के आधार पर किया गया है तथा आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जाती है यदि भविष्य में ऐसी आस्तियों की उगाही की वास्तविक सुनिश्चितता है। आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की वर्ष के दौरान प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।
- 7. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन**

दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान राजस्व प्रकृति का है अतः कंपनी की आस्ति सृजित नहीं हुई इसलिए लाभ और हानि लेखों में प्रणालीबद्ध आधार पर मान्यता नहीं दी गई, समयावधि के बाद संबंधित लागतें, जो लेखा मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति होती हैं, के साथ मिलान करना आवश्यक है।
- 8. प्रावधान**

प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व होता है।

SCHEDULE NO. 'E' – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- 1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

Accounting Convention – The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The financial statements adhere to relevant presentation requirement of the Companies Act, 1956.
- 2. FIXED ASSETS**

No Fixed Assets purchased during the year.
- 3. DEPRECIATION**

There is no fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.
- 4. CURRENT LIABILITIES**

Preliminary expenses and Other expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as Current Liabilities.
- 5. REVENUE RECOGNITION POLICY**

Income is recognized as and when accrued.
- 6. ACCOUNTING FOR TAXES**

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made.

The deferred tax charge or credit is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date. In terms of Accounting Standards 22 issued by ICAI, provision for deferred tax liability is made on the basis of review at each Balance Sheet date and deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.
- 7. ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS**

Government Grants received for Modernisation of Delhi Police is revenue in nature since no asset of company is created as such it is recognised on a systematic basis in the profit & loss statement over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per accounting standard-12.
- 8. PROVISIONS**

Provisions are recognized when the company has a present legal or constructive obligation.

अनुसूची 'च' लेखों पर टिप्पणियां

1. प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्न है:

क्रसं० S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री वाई. एस. डडवाल Sh. Y.S. Dadwal	अध्यक्ष Chairman	16/11/2007	जारी Continuing
2.	श्री दीप चन्द Sh. Deep Chand	प्रबंध निदेशक Managing Director	13/07/2009	31/03/2010
3.	श्री नीरज कुमार Sh. Neeraj Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	01/04/2010	जारी Continuing

2. वर्ष के दौरान, रु.7,87,028/- के प्राथमिक व्यय को बट्टे खाते में डाला गया। आयकर अधिनियम, 1956 के अनुसार प्राथमिक व्यय पांच एक समान किशतों में अनुमत्य है जो आस्थगित कर देयता में तब्दील होता है अथवा कर्हे आस्थगित कर आस्तियों का व्युत्क्रमण।

3. कंपनी को पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से रु.40 करोड़ का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है जिसे पुलिस थाने के निर्माण/आधुनिकीकरण पर खर्च किया गया। यह राजस्व अनुदान है इसलिए कंपनी की कोई आस्ति सृजित नहीं हुई। चूंकि यह लाभ और हानि लेखे से लिया गया है इसलिए समयावधि के बाद संबंधित लागतों के साथ मिलान करना आवश्यक है।

4. कंपनी को 26.03.2010 को वर्ष के अंत में आधुनिकीकरण तथा आवासीय उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय से रु.25 करोड़ की राशि की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है और इसलिए वर्ष के अंत में उपयोगिता हेतु लम्बित थी।

5. कंपनी ने आस्थगित कर की लेखा गणना आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना मानक – 22 के अनुसार की है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी गई है।

विशेष समय अंतराल के कर के प्रभाव का परिणाम आस्थगित कर आस्तियां हैं और उससे संबंधित मदों के ब्योरे जिन अंतरों को बनाते हैं वह इस प्रकार है:

1. The detail of Management Personnel are as follows:-

2. The preliminary expenses Rs.7,87,028/- were written off during the previous year. As per Income Tax Act, 1956 preliminary expenses are allowed in five equal instalments which result in deferred tax liability or say reversal of deferred tax assets.

3. The Company received Rs.40 Crore Government Grants out of the Police Modernisation Fund which has been spent on construction/modernisation of Police Stations. It is revenue grant in nature since no asset of the Company is created as such it is routed through Profit & Loss Account over the period necessary to match it with the related costs.

4. The Company has received Grant-in-Aid amounting to Rs.25 Crore from Ministry of Home Affairs for modernisation and housing purpose at the end of the year on 26.03.2010 and as such it was pending for utilisation at the year end.

5. Company has accounted for Deferred Tax in accordance with Accounting Standard-22, 'Accounting for Taxes on Income' issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized.

The tax effect of significant timing difference that results in deferred tax assets and description of items thereof that creates these differences is as follows:

(राशि रुपयों में /Amount in Rs)

विवरण	Particulars	As on 31.03.2010 को	As on 31.03.2009 को
आस्थगित कर आस्तियां – प्राथमिक व्यय को बट्टे खाते में डालने का समय अंतराल	Deferred Tax Assets -Timing difference in writing off of Preliminary exp	141,053.00	194,553.00

6. प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन की गणना लेखा के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को घटाकर की जाती है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा ईक्विटी शेयर धारकों के लिए माना जा सके।

6. Basic/Diluted Earning Per Share has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity shareholder by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रुपयों में /Amount in Rs.)

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2009 को	As on 31.03.2010 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	1,865,074.00	8,918,991.00
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	500,000.00	500,000.00
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	3.73	17.84
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100.00	100.00

7. कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया है।

7. The Company has complied with all the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

8. There is no contingent liability of the Company.

9. कंपनी का लघु उद्योगों/उपक्रमों के प्रति बकाया देयता नहीं है।

9. The Company has no outstanding liability towards small scale industries/undertakings.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(प्रदीप अग्रवाल)

एफ.सी.ए. भागीदार
सदस्यता सं. 087135
एफआरएन-008973एन

ह.

(युद्धबीर सिंह डडवाल)

अध्यक्ष

ह.

(नीरज कुमार)

प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :28.09.2010

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-

(PRADEEP AGARWAL)

F.C.A.
Partner
M.No.087135
FRN :08973N

Sd/-

(Yudhbir Singh Dadwal)

Chairman

Sd/-

(Neeraj Kumar)

Managing Director

Place : New Delhi
Date :28.09.2010



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITOR'S REPORT

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

- हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2010 के संबद्ध तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित लाभ और हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंध तंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लागू लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में इसके साथ विवरण संलग्न करते हैं।
- उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम यह स्पष्ट करते हैं कि:
 - हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

THE MEMBERS OF

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED.

- We have audited the attached Balance Sheet of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED as at 31st March, 2010 and relative Profit & Loss account for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- As required by the Companies (Auditor's Report) order 2003 issued by the Central Government of India in terms of Sub Section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the annexure hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said Order
- Further to our comments in the annexure referred in paragraph 3 above, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;



- (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हैं।
- (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा खाता बहियों से मेल खाते हैं।
- (iv) हमारी राय में कंपनी के लाभ-हानि खाता तथा तुलन-पत्र में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित अधिदेशी लेखा मामलों का पालन किया गया है।
- (v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएल-V के अनुसार सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधानों की प्रयोजनीयता से सरकारी कंपनी को छूट मिली है।
- (vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और उक्त पैरा (vi) की हमारी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित उक्त लेखा, उसके साथ में पठित टिप्पणियों के साथ यथा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;
- (क) 31 मार्च, 2010 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के मामले में, और
- (ख) उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा के मामले में।

- (ii) In our opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- (iii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (iv) In our opinion, the Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Company comply with the mandatory accounting standards referred to in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956;
- (v) Vide notification No. 2/5/2001-CL.V dated 22.03.2002 of the Department of Company Affairs, Government of India, Government Companies have been exempted from applicability of the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956;
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and further to our comments in para (vi) above, the said accounts, read with the noted thereon give the information required by the Companies Act 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
- (a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2010; and
- (b) In the case of the Profit & Loss Account of the profit for the period ended on that date.

कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार



ह.
(प्रदीप अग्रवाल)

एफ.सी.ए.
भागीदार

सदस्यता सं. 087135
एफआरएन-008973एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.09.2010

For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants



(PRADEEP AGARWAL)

F.C.A.

Partner

M.No.-087135

FRN-008973N

Place : New Delhi
Date :28.09.2010

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित

- (i) मद सं. (i) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (ii) मद सं. (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई प्रविष्टि नहीं है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को/से प्रतिभूत/अप्रतिभूत न किसी को ऋण प्रदान किया न लिया।
- (iv) हमें स्पष्ट किया गया कि सामान/वस्तु और अचल आस्तियां खरीदने तथा माल और सेवाएं खरीदने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी अपना कार्य निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राइट्स और मैसर्स एचपीएल के माध्यम से करवाती है जिनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित किसी संविदा अथवा प्रबंधन में शामिल नहीं हुई।
- (vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
- (vii) कंपनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। यह हमें स्पष्ट किया गया कि क्योंकि कंपनी अपना कार्य निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राइट्स और मैसर्स एचपीएल के माध्यम से करवाती है इसलिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है।
- (viii) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की गतिविधि के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण विनिर्धारित नहीं किया है।
- (ix) (क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2010 को अदायगी योग्य की तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए कोई सांविधिक बकाया देय नहीं है।
(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर के कोई विवाद देय नहीं है।
- (x) मद सं. (x) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xi) मद सं. (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

Annexure to Auditor's Report

Referred to in Paragraph 3 of our report of even date..

- (i) Point No. (i) is not applicable to the Company as Company had no fixed assets during the period of audit.
- (ii) Point No. (ii) is not applicable to the Company as Company had no inventory during the period of audit.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has neither granted nor taken any loan, secured or unsecured to/from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the period of audit.
- (iv) It was explain to us that there is no need of internal control systems for purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services as if is getting its work done through executing agencies M/s Rites and M/s HPL which have their own internal control systems.
- (v) According the information and explanation given to us, company did not enter into any contract or arrangement referred to in Section 301 of the Act.
- (vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposit from the public.
- (vii) The Company is not having any internal Audit system. It was explained to us that since company is getting all its work done through executing agencies M/s RITES and M/s HPL as such there is no need of internal audit system.
- (viii) As per explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of Cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 to the activities of the Company.
- (ix) (a) According to the records of the Company, no statutory dues were outstanding as at 31st March, 2010 for a period of more than six months from the date of becoming payable.
(b) According to the information and explanations given to us, there is no disputed dues of income tax/sales tax/wealth tax/service tax/customs duty/ excise duty/cess.
- (x) Point no. (x) is not applicable to the Company.
- (xi) Point no. (xi) is not applicable to the Company.



- (xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अतएव कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड 4(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xiv) मद सं. (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।
- (xvi) मद सं. (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर बनाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।
- (xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पार्टियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आती है।
- (xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- (xx) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन नहीं उठाया है।
- (xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की, हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें, वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न दिखी अथवा रिपोर्ट की गई।

- (xii) According to the information and explanation given to us, no loan and advance has been granted by the Company on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- (xiii) According to the information and explanation given to us, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.
- (xiv) Point no. (xiv) is not applicable to the Company.
- (xv) Accordingly to information and explanations given to us, Company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
- (xvi) Point no. (xvi) is not applicable to the Company.
- (xvii) According to information and explanations given to us, the Company has not utilised fund raised on short term basis towards long term investments.
- (xviii) According to information and explanations given to us, the Company has not made preferential allotment of shares during the year to parties and companies covered in the Register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- (xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued debenture during the year.
- (xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any money by way of public issue during the year.
- (xxi) During the course of our examination of the books of account carried out in accordance with the generally accepted auditing standards in India and as per the information and explanations given to us, we have not come across any instance of fraud, either notices or reported during the year on or by the Company.

कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार



ह.
(प्रदीप अग्रवाल)

एफ.सी.ए.

भागीदार

सदस्यता सं. 087135

एफआरएन-008973एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.09.2010

For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants



(PRADEEP AGARWAL)

F.C.A.

Partner

M.No.-087135

FRN-008973N

Place : New Delhi
Date :28.09.2010

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

सं. 771-पीडीसीए/एचएस/डीपीएचसीएल/ए/सीएस/2009-10/2023

दिनांक : 29.09.2010

सेवा में,

अध्यक्ष

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

नई दिल्ली-110002

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 169(4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र भेजने का निदेश हुआ है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.

(एल. हंगसिंग)

निदेशक (प्रधान कार्यालय)

संलग्नक: उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फ़ैक्स : 23239416

ई-मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

(25)



Confidential

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

No.77LPDCA/HS/DPHCL/A/cs/2009-10 2023

Dated: 29.09.2010

To,

**The Chairman,
Delhi Police Housing Corporation Limited
New Delhi-110002.**

Subject: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2010.

Sir,

I have been directed to enclose herewith a Non-Review Certificate under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the **Delhi Police Housing Corporation Limited**, New Delhi for the year ended 31st March 2010.

Receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(L. Hangsing)
Director (Hqrs.)

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **28.09.2010** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई अभियुक्ति नहीं की है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(**ओंकार नाथ**)

**प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .-IV**


स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2010

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2010.

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28.09.2010.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of the Statutory Auditors on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2010 and as such have no comments to make under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(Onkar Nath)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

Place: New Delhi
Dated: 29.09.2010.

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com